यूरोपीय संघ(EU) ने ऐप स्टोर में अविश्वास उल्लंघन के लिये एप्पल पर जुर्माना लगाया

स्रोत:द हिंदू

प्रतिस्पर्द्धियों से निपटने और अपने एप स्टोर पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर शुल्क लगाने के संबंध में, एप्पल पर अविश्वास कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह तकनीकी दिग्गज के खिलाफ **यूरोपीय संघ** के हालिया **1.8 बिलियन यूरो के जुर्माने** से पता चलता है।

- एप्पल पर उपयोगकर्त्ताओं को वैकल्पिक सदस्यता विकल्पों के बारे में सूचित करने की क्षमता को सीमित करके और इन-एप खरीदारी के लिये **विशेष शुल्क लगाकर स्पॉटिफाई (Spotify) जैसे प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में अपनी स्वयं की संगीत स्ट्रीमिंग सेवा, "Apple Music" का गलत तरीके से पक्ष लेने का आरोप** लगाया गया था।
- यूरोपीय आयोग ने पाया कि एप्पल के कार्यों ने यूरोपीय संघ के अविश्वास कानूनों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से इसकी **प्रमुख बाज़ार स्थिति के दुरुपयोग तथा प्रतिस्पर्द्धा में बाधा डालने** वाले परिचालन-विरोधी प्रावधानों के संबंध में।
- यह जुर्माना प्रतिस्पर्द्धा विरोधी प्रथाओं के खिलाफ यूरोपीय संघ के रुख को रेखांकित करता है और साथ ही भविष्य के तकनीकी अविश्वास मामलों के लिये एक मिसाल कायम करता है।
- एप्पल ने प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहार का कोई सबूत नहीं हैं यह बताते हुए अविश्वास के आरोपों से इनकार किया है और साथ ही यूरोपीय संघ के निर्णय के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है।

और पढ़ें... भारत में बाज़ार एकाधिकार और कानून

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/eu-fines-apple-for-antitrust-violations-in-app-store